

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012020-215406
CG-DL-E-14012020-215406

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]
No. 190]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

का. आ. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को लोक प्राधिकरण के एक अधिकारी होते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में अपनी अधिकारित की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन एक संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम और पता	सरकारी स्थान की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
श्री जीशु जॉन स्कारिया, संयुक्त महाप्रबंधक (विधि) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय: जे एल	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा अथवा उसकी ओर से या भारत में कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण या कब्जे के अधीन पट्टे पर या उससे संबंधित परिसर।

एन मेट्रो स्टेशन, 4 वीं मंजिल, कलूर, एर्नाकुलम - 682017 (केरल)	
--	--

[फा. सं. के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV]

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2020

S.O. 200(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the table below, being an officer of the public authority, equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on an Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said table : -

TABLE

Designation of the Officer and Address	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Shri Jishu John Skariah, Joint General Manager (Legal), Kochi Metro Rail Limited Registered Office: JLN Metro Station, 4 th Floor, Kaloar, Ernakulam - 682017 (KERALA).	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Kochi Metro Rail Limited and under the administrative control or possession of Kochi Metro Rail Limited in India.

[F. No. K-14011/37/2005-MRTS-IV]

JAIDEEP, Officer on Special Duty (Urban Transport) and Ex-Officio Jt. Secy.